(136)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

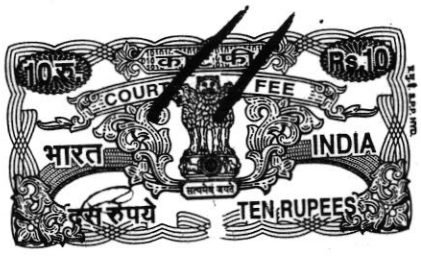

Rs. 20/-

रमेश प्रसाद उर्मलिया तनयश्री अनसुइयाप्रसाद उर्मलिया उम्रलगभग 34 वर्ष, पेशा कृषि कार्यनिवासी ग्राम कसियारी, पटवारी हल्का जोन्हा, तह० जवा, जिलारीवाम०प्र० ------------ आवेदक पुनरीक्षणकर्ता

R. 3022-15/12

विरुद्ध

1- प्रमोद कुमार उर्मलिया पिता श्री शीतला प्रसाद उर्मलिया उम्र लगभग26 वर्ष पेशा कृषि कार्य, निवासी कसियारी, पटवारी हल्का जोन्हा, तहसील जवा, जिलारीवाम०प्र०

2- शासन म०प्र० ---------- अनावेदकगण/ गैरपुनरीक्षणकर्तागण

अधिवक्ता श्री अनिल द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 13-08-2012

13.8.12

5-9-12

पुनरीक्षण आवेदनपत्र विरुद्ध आदेश आदेश न्यायालय तहसीलदार जवा, जिलारीवाम०प्र० द्वारा प्रकरणक्र० 43ए12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 16-7-2012

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ईस्वी।

---

(15)

(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी/3022/दो/12 जिला रीवा

रमेश प्रसाद / प्रमोद कुमार, म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-08-2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्विवेदी उपस्थित हुए उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये । प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। 2/ प्रकरण में आवेदक का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील जवा जिला रीवा के समक्ष अनावेदक क्र 1 द्वारा ग्राम कसियारी की आराजी खसरा न 81/1 , 82/1 , 135/1 , 136/1 , 139/1 , 149/1 के सीमांकन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तारतम्य में सीमांकन कार्यवाही की गयी। आवेदक के अनुसार सीमांकन विधिसम्मत न होने के कारण आवेदक द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 43/अ12/11-12 आदेश दिनांक 16-07-12 के विरूद्व एक आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। आवेदक द्वारा भी ग्राम कसियारी की भूमि खसरा न. 81/3 82/3 108/1 139/2 149/3 कुल रकवा 3.00 ए. के सीमांकन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो तहसील न्यायालय जवा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/10-11 में पारित आदेश दिनांक 12-06-12 में संपुष्ट किया गया। परन्तु प्रश्नाधीन मामले में आवेदक के अनुसार भूमि रकवे में सीमांकन में पक्षपात हुआ है। तहसीलदार, तहसील जवां जिला रीवा के प्रकरण क्र 43/अ-12/11-12 आदेश दिनांक 16-07-12 के विरूद्व यह निगरानी म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया एवं संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, तहसील जवा जिला के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/11-12 आदेश दिनांक 16-07-12 के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 सीमांकित भूमियों का विधिवत स्वामी है जिन्हें सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार है एवं तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता द्वारा यह	

आपत्ति उठायी गयी है कि आवेदन पत्र में शीतलाप्रसाद के हस्ताक्षरहै, जबकि आराजियां उनके पुत्र प्रमोद कुमार के नाम है। सीमांकन के समय स्थल पर भूमिस्वामी प्रमोद कुमार ही उपस्थित थे जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैकि आवेदित भूमि के दर्ज भूमिस्वामी के समक्ष ही सीमांकन किया गया है।

4/ प्रकरण में राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी द्वारा चौकीदार के माध्यम से आवेदक एवं सरहदी काश्तकारें को सूचना दी गयी है, जो कि संलग्न है। मौके पर सीमाचिन्हों के अनुसार सीमांकन कर रिपोर्ट तैयार की गयी है। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पंचनामा एवं उपस्थिति पंचनामा भी तैयार किया गया है जो कि नस्ती में संलग्न है इसके अलावा नक्शा तरतीमी की कार्यवाही भी की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में आवेदकगण द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार, तहसील जवां जिला रीवा के सीमांकन प्रकरण क्र 43/अ12/11-12 आदेश दिनांक 16-07-12 को निरस्त किया जा सके।

अत: निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 16-07-12 स्थिर रखा जाता है। अभिलेख वापिस भेजे जावें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

29/8/18

(आर. के. मिश्रा)

सदस्य